

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3051

दिनांक 12 मार्च, 2020 / 22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बिलासपुर से उड़ानें

3051. श्री अरूण सावः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से उड़ानों के शीघ्र प्रारंभ हेतु नियमित रूप से किए जा रहे विरोधों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या डीजीसीए ने सरकार की 'उड़ान' योजना के अंतर्गत चक्रभाटा-बिलासपुर विमानपत्तन को 2 सी वीएफआर-एटीआर 42 श्रेणी हेतु एक लाइसेंस जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या छत्तीसगढ़ में जगदलपुर विमानपत्तन के 3सीवीएफआर श्रेणी में उन्नयन हेतु डीजीसीए को कोई प्रस्ताव भेजा गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;
- (घ) क्या बिलासपुर विमानपत्तन का 3सीवीएफआर श्रेणी में उन्नयन के बाद सरकार द्वारा बिलासपुर के साथ-साथ जगदलपुर से उड़ानें आरंभ करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लेने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की तकनीकी सहायता के साथ बिलासपुर तथा जगदलपुर में हवाईअड्डों को विकसित किया है। बिलासपुर एवं जगदलपुर हवाईअड्डे, कोड2सी टाइप विमानों के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जगदलपुर के 3सी श्रेणी के लिए अपग्रेडेशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जगदलपुर हवाईअड्डे का 3सी श्रेणी के लिए परिचालनीकरण होना, राज्य सरकार के हवाईअड्डे का परिचालक होने के नाते, इसके द्वारा संबंधित विनियमनों/नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने पर निर्भर करता है। क्षेत्रीय सपके योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक), के अंतर्गत प्रथम चरण की बोली प्रक्रिया के अंतर्गत बिलासपुर तथा जगदलपुर को जोड़ने वाले आरसीएस मार्गों को चयनित एयरलाइन परिचालकों को अवाई किया गया था जिन्हें चयनित एयरलाइन परिचालकों (एसएओ) द्वारा एसएओ समझौते का अनुपालन न किये जाने के कारण तदनुसार समाप्त/रद्द कर दिया गया था। हालांकि, बिलासपुर को जोड़ने वाले आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए कोई वैध बोली, इस योजना के अंतर्गत तीन चरणों की बोली प्रक्रिया के समाप्त होने तक बाद के चरणों में प्राप्त नहीं हुई है। आरसीएस - उड़ान के अंतर्गत तीसरे चरण की बोली प्रक्रिया के समाप्त होने पर जगदलपुर को जोड़ने वाले मार्गों जो कि एसएओ को अवाई किए गए हैं उनका विवरण अनुबंध के रूप में सलग्न है। आरसीएस - उड़ान के अंतर्गत एसएओ, लैटर ऑफ अवाई प्रदान करने के छह माह के भीतर अथवा हवाईअड्डे के परिचालन के लिए तैयार होने के दो महीने के भीतर, इनमें से जो भी बाद में, के भीतर आर.सी.ए.एस. मार्ग पर आर.सी.ए.एस. उड़ान आरंभ करने के लिए बाध्य है। यदि कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा कोई समयावधि नहीं बढ़ाई गई हो।

लोक सभा के दिनांक 12/03/2020 के अतारांकित प्रश्न सं 3051 के उत्तर में संदर्भित
विवरण

आरसीएस-क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत तीसरे चरण की बोली प्रक्रिया (एसएक्यू)
को अवार्ड किए गये, जगदलपुर को जोड़ने वाले मार्गों का विवरण

से	सेवा
जगदलपुर	हैदराबाद
हैदराबाद	जगदलपुर
जगदलपुर	रायपुर
रायपुर	जगदलपुर
जगदलपुर	विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम	जगदलपुर
जगदलपुर	भुवनेश्वर
भुवनेश्वर	जगदलपुर
जगदलपुर	हैदराबाद
हैदराबाद	जगदलपुर